फैक्स / स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, न दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

सं0 एमओ/1/2013/एसटीजीजेएच/एटीओटीएच/आर.यू.-3

दिनांक : 04-09-2013

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला-रामगढ़,
झारखण्ड

विषयः आदिवासियों के उपर टिस्को वेस्ट बोकारो घाटो कोयलारी के अधिकारी तथा माण्डु थाना के पूर्व थाना प्रभारी द्वारा अत्याचार एवं जबरन विस्थापन करने के विरूद्ध शिकायत आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15/01/2013 द्वारा श्री सूरज उरांव एवं अन्य ग्राम-बारूधुट (श्रीमोहन टोली), पो.-घाटो, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) से आयोग को प्राप्त संयुक्त अभ्यावेदन की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको भेजी गयी थी जिसके प्रत्युत्तर में आपके द्वारा उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 22/05/2013 आयोग को प्राप्त हुई। अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव आपकी उक्त रिपोर्ट को आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में दिनांक **12/09/2013 को 11:30 बजे** चर्चा करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची झारखण्ड में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

5868-70
4/9/13

भवदीय,
के०डी० बन्सौर
(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः

1. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
2. श्रीमती भदिया उरांव पति स्व0 महाबीर उरांव, ग्राम-बारूधुट, (श्रीमोहन टोली), पो.-घाटो, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) को सूचनार्थ।

Copy to:-
1. SSA (NIC)

O/C